

जाति-आधारित भेदभाव संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लयः

[उचतऱ मूल्य की दुकानें](#), [आतुडहत्या](#), अनुसूचित जातऱ, अनुसूचित जनजातऱ, [अन्य पछिडा वरग](#), [राषटरीय खादय सुरकषा अधनियम 2013](#), नैतकऱता, मूल्य

डेनुस के लयः

शासन और प्रशासन में नैतकऱता पर समाज में प्रचलतऱ वडऱनऱन जातऱ-आधारतऱ भेदभावपूरण प्रथाओं का प्रभाव

[सुरतः डाउन टू अरथ](#)

चरुा में कुर्योँ?

पाटन ज़ऱला कलेकटर का हालयऱ नरऱदेश जसऱमें कानोसन गाँव में दलतऱ द्वारा संचालतऱ [उचतऱ मूल्य की दुकान \(FPS\)](#) से सभी राशन कार्डों को पडुडुसी गाँव में स्थानान्तरतऱ करने का आदेश दयऱ गयऱ है, महत्त्वपूरण नैतकऱ और संवैधानकऱ प्रश्न उठऱता है ।

उचतऱ मूल्य की दुकान (FPS):

- FPS भारत में सरकार द्वारा संचालतऱ एक वनऱनऱतऱ रऱटऱल आउटलेट या स्टोर है ।
 - उचतऱ मूल्य की दुकानों का प्रऱथमकऱ उददेश्य जनता को आवशुयक वस्तुओं जैसे [खादयान्न](#), [खादय तेल](#), [चीनी](#) और [अन्य बुनयऱदी आवशुयकताओं](#) को रयऱयती या उचतऱ मूल्य पर वतऱरतऱ करना है ।
 - ये दुकानें आमतौर पर सरकारी कलयाण कारुयकुरुमों का हसऱसऱ हैं जनऱका उददेश्य [खादय सुरकषा सुनशुचितऱ](#) करना और [कड आय वाले परिवारों पर आरुथकऱ डुडुडु को कड](#) करना है ।
 - इस प्रणाली में [आधार प्रडऱणीकरण](#) के माधुयड से लाभऱरुथऱयों के सतुयऱपन के लयऱ एक डुडुडुत तंतुर डुडुडु है और इसमें [इलेकटरुनकऱ डुवऱइंट ऑफ सेल \(e-POS\)](#) डशीनों की सहायता से ऑनलाइन लेनदेन की नऱगऱरऱनी करने की सुवऱधऱ है ।
 - लाभऱरुथऱयों को सही डऱतुरऱ में राशन डऱलऱ यह सुनशुचितऱ करने के लयऱ [e-POS उपकरणों को इलेकटरुनकऱ वडुन डशीनों के साथ एकऱकृत कयऱ गयऱ है ।](#)
 - ये FPS और ePOS डशीनें [वन नेशन वन राशन कारुड डुडुडु डुडुडु \(ONORC\)](#) के कारुयऱनवडुन एवं नरऱडऱध कारुयऱनवडुन में सहायक साडऱतऱ हुई हैं ।

घटना में शामिल वडऱनऱन नैतकऱ डऱहलू:

- नैतकऱ डुदुदुओं:
 - [भेदभाव और सामाजकऱ सडऱनता](#):
 - इस डऱडुडुले में डुखुय नैतकऱ डुदुदु राशन कारुडुओं के हसुतऱंतरण के कारण जातऱके आधार पर [भेदभाव](#) है ।
 - [करुतवुय की उपकषऱ](#):
 - राशन कारुडुओं को स्थानान्तरतऱ करने के ज़ऱला कलेकटर के नरऱदेश को [करुतवुय की उपेकषऱ](#) के रूडु में देखा जा सकतऱ है ।
 - सऱरुवजनकऱ प्रऱधकऱरऱयों को [सतुयनडऱषऱ](#) की नैतकऱ अवधऱरणा के अनुसऱर नडऱषऱकष रूडु से और सभी नऱगरकऱओं के सरुवतुतडु हतऱ में कारुय करना आवशुयक है ।
 - [डऱनसकऱ सुवऱसुथुय और कलयाण](#):
 - जातऱ-आधारतऱ भेदभाव के शकऱर वुयकतुतऱ द्वारा अनुडुव कयऱ गयऱ डऱनसकऱ आघऱतऱ, जसऱके कारण [आतुडहत्या का प्रडऱस और शरीर पर डुडुडु लगना](#) एक महत्त्वपूरण नैतकऱ डुडुडु का वडऱषऱ है ।
 - [कुरुणऱ](#), सहानुडुतऱ और वुयकतुतऱयों के कलयाण की रकषऱ करने का करुतवुय महत्त्वपूरण डुडुडु डुडुडु है ।
 - कऱनुनी डऱडुडु के प्रडुडुडुगऱ:

- **भोजन का अधिकार** अभियान के संयोजक SC/ST अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनी ढाँचे को लागू करने का आह्वान करते हैं।
- **वधि के शासन** को कायम रखने और संवधान का सम्मान करने के नैतिक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिये।
- हाशिये पर रहने वाले समुदायों का सशक्तिकरण:
 - **हाशिये पर रहने वाले समुदायों** के सशक्तिकरण से संबंधित अनिवार्य सिद्धांतों का उल्लंघन एक प्रमुख नैतिक चिंता का विषय है।
 - नषिपक्षता, **समता** और **गैर-भेदभाव**, न्याय एवं **समानता** के नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये।
- नैतिक दायित्व:
 - अपने कार्यों के परिणामों का हल करने में ज़िला कलेक्टर और अभिजात वर्ग के परिवारों का **नैतिक दायित्व** बढ़ जाता है।

घटना के अन्य परिप्रेक्ष्य:

- संवधानिक आदेशों का उल्लंघन:
 - भारतीय संवधान **समानता**, **न्याय** और **गैर-भेदभाव** के मौलिक मूल्यों को स्थापित करता है जैसा कि **संवधान के भाग-III (अनुच्छेद 17) में मौलिक अधिकारों** के तहत नहिति है।
 - **जाति के आधार पर की जाने वाली भेदभावपूर्ण कार्रवाईयाँ** इन संवधानिक सिद्धांतों का खंडन करती हैं।
- वैधानिक आदेशों का उल्लंघन:
 - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015) का कार्यान्वयन न करना:**
 - अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार **SC/ST अधिनियम, 1989** के दायरे में आता है जिसका उद्देश्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को रोकना और दंडित करना है।
 - यह जाति-आधारित भेदभाव और हिसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
 - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम:**
 - यह अधिनियम गाँवों में FPS के लोकतांत्रिक सशक्तीकरण को कायम रखता है तथा हाशिये पर रहने वाले समुदायों के वितरण नियंत्रण की वकालत करता है।
 - **राशन की दुकानों को दूसरे FPS में स्थानांतरित करना इस कानून की भावना का उल्लंघन है।**

समान स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाईयाँ:

- **निवारक कदम:**
 - **जागरूकता स्थापित करना:**
 - जाति-कलंक और भेदभाव के मथिकों को तोड़ने के लिये **मध्याह्न भोजन योजना** के कार्यान्वयन के मॉडल को अपनाया जा सकता है जहाँ गणमान्य लोग पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं।
- **दंडात्मक कार्रवाई:**
 - जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये आगे **की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिये।**
 - ऐसी गलत गतिविधियों को नौकरशाहों की **वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों** से जोड़ना ताकियह भविष्य में एक निवारक के रूप में कार्य करें।
 - **लाइसेंस नरिस्तीकरण:**
 - **दलित FPS डीलरों का लाइसेंस रद्द होने से आर्थिक प्रभाव और आजीविका को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।**
- **स्वतः संज्ञान लेना:**
 - भोजन का अधिकार, अभियान उच्च न्यायालयों अथवा सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से भेदभावपूर्ण राशन कार्ड हस्तांतरण पर **स्वतः संज्ञान** लेने का आग्रह करता है।
 - कानून के शासन और संवधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिये ऐसी कार्रवाईयाँ आवश्यक हैं।
- **लोकतांत्रिक सशक्तिकरण तथा समावेशिता:**
 - **उचित मूल्य दुकानों की भूमिका (FPSs):**
 - FPSs हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये **खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
 - समावेशिता और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये **FPSs का लोकतांत्रिक सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण है।**

नषिकर्ष:

- जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार द्वारा दुकान मालिकों को गंभीर हानि पहुँची है, जो न्याय एवं जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। **सामाजिक समानता, न्याय तथा समावेशिता के मूल्यों को कायम रखना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि एक लोकतांत्रिक और वविधि समाज के लिये एक नैतिक अनिवार्यता भी है।**
- यह घटना भारत में **जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने और संवधानिक मूल्यों को बनाए रखने में आ रही चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है।**

??????:

प्रश्न 1. आधुनिक समय में नैतिक मूल्यों का संकट अच्छे जीवन की संकीर्ण धारणा से उत्पन्न होता है। चर्चा कीजिये (2017)

प्रश्न 2. लोक प्रशासन में नैतिक दुवधियों को हल करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/concerns-of-caste-based-discrimination>

